269

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R. 2056-III/14

1– दिनेश चन्द्र तनय श्री चिन्तामन अहिरवार
2– सुनील कुमार तनय श्री चिन्तामन अहिरवार
3– रामस्वरुप तनय करन्जू अहिरवार
निवासीगण–निवाडी तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0 ......आवेदकगण

बनाम

1– करनसिंह तनय श्री लाखनसिंह दांगी
2– स्वामीप्रसाद तनय श्री जगन्नाथ दांगी
3– महेन्द्र सिंह तनय रामदास दांगी
निवासीगण–निवाडी, जिला– टीकमगढ, म0प्र0 ....अनावेदकगण

7/7/14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 10/06/14 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाडी ,जिला–टीकमगढ जो प्रकरण कमांक 72/अ/ 12 / 2013–14 में पारित कर अनावेदकगण द्वारा चाहा गया सीमांकन स्वीकृत किया है।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा कमांक नं.– 2020/1/8 एवं 2020/1/8अ स्थित मौजा निवाडी खास, तहसील निवाडी जिला टीकमगढ है । जिस पर आवेदकगण का पैत्रिक समय से बिना किसी रोकटोक के कृषि करते चले आ रहा है और वर्तमान में भी वास्तविक कब्जा है।

2– यह कि, उपरोक्त भूमि पर विधिवत् तरमीम नहीं हुयी है । विधि अनुसार बिना तरमीम सीमांकन किया जाना संभव नही है। श्रीमान् राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कृषकों को सुने बिना मनमाने तरीके से अनावेदकगण के खसरा कमांक 2020/1/8 /ब का बिना किसी मुनारे एवं कुआॅ के सीमांकन किया है ।

3– यह कि , आवेदकगणों को सीमांकन हेतु कोई सूचना पत्र प्रदान नही किया गया और ना ही आवेदकगणों को सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया और ना ही खसरा कमांक 2020/1/8 के बटांकन की तरमीम की गयी । बिना तरमीम के अनावेदकगण द्वारा दिनांक 06/06/14 को सीमांकन हेतु आवेदन पत्र श्रीमान् राजस्व निरीक्षक दिया जाना कहा जाता है और दिनांक 10/06/14 को सीमांकन हेतु सूचना दिया जाना कहा जाता है जबकि ऐसा कोई सूचना पत्र आवेदकगणों को प्राप्त हुआ।

4– यह कि, दिनांक 10/06/14 को ही श्रीमान् राजस्व निरीक्षक द्वारा खसरा 2020/1/8/ब का सीमांकन कर सीमांकन स्वीकृत किया जाना कहा जाता सीमांकन स्वीकृति आदेश दिनांक 10/06/14 में आवेदकगणों का मौके पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2056-तीन/2014 जिला टीकमगढ़ दिनेश विरूद्ध करनसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाड़ी के प्रकरण क्रमांक 72/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 10-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 12/02/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	